प्रेस नोट
दिनांक 06.06.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर पम्प व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–126/26, धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त– रविप्रताप शर्मा पुत्र संतशरण शर्मा को जानकी नगर स्थित भट्टे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 00 अदद चोरी के पानी के मोटर पम्प व घटना में प्रयुक्त 01 अदद एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी अनिल कुमार शुक्ला पुत्र जगदीश प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम देवतहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर मे लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 04.06.2026 को समय लगभग 02:00 बजे दिन में उनके खेत में लगा 02 एच.पी. का पानी का मोटर किसी अज्ञात चोर द्वारा खोलकर चोरी कर लिया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 06.06.2026 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी की घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त– रविप्रताप शर्मा पुत्र संतशरण शर्मा को जानकी नगर स्थित भट्टे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 00 अदद चोरी के पानी के मोटर पम्प व घटना में प्रयुक्त 01 अदद एचएफ डिलक्स मोटरसाईकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. रविप्रताप शर्मा पुत्र संतशरण शर्मा निवासी लोनपुरवा मौजा इटहिया नवीजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–126/26, धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चोरी का पानी का मोटर पम्प (किर्लोस्कर)
02. 01 अदद मोटर साईकिल एचएफ डिलक्स (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 कामेश्वर राउत
02. हे0का0 पप्पू सिंह
03. हे0का0 मेहताब खान
04. का0 अमृष कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.06.2026</u>

<u>थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–669/2023 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुधीर कुमार शुक्ला पुत्र रामभुलावन शुक्ला निवासी मुसौली, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

वादी धर्मपाल पुत्र चन्दिका प्रसाद निवासी ग्राम पांचूपुरवा पाण्डेय दुर्जनपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसने वर्ष 2015 में विपक्षी सुधीर कुमार शुक्ला निवासी मुसौली थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा से ₹50,000/– उधार लिया था, जिसे ब्याज सहित ₹54,500/– वापस कर हिसाब–किताब समाप्त कर दिया गया था। इसके बावजूद विपक्षी द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग करते हुए गाली–गलौज, मारपीट एवं उठवा लेने की धमकी दी जाती रही, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली नगर एवं आईजीआरएस पोर्टल पर की गई थी। उक्त शिकायतों से क्षुब्ध होकर विपक्षी ने योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 25.02.2023 को भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइन शाखा के चेक संख्या 260284 के माध्यम से ₹1,05,000/– की धनराशि वादी के नाम का प्रयोग कर निकाल ली तथा चेक पर वादी के फर्जी हस्ताक्षर बना दिए। वादी के अनुसार उसने न तो उक्त चेक देखा और न ही बैंक जाकर धनराशि का नकदीकरण किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर फर्जी हस्ताक्षर एवं अभिलेख तैयार कर धोखाधड़ी एवं कूटरचना का अपराध किया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 06.06.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए वांछित अभियुक्त– सुधीर कुमार शुक्ला पुत्र रामभुलावन शुक्ला निवासी मुसौली, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त–</u>

01. सुधीर कुमार शुक्ला पुत्र रामभुलावन शुक्ला निवासी मुसौली, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–669/2023 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 उमाशंकर उपाध्याय
02. का0 संदीप कुमार यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 06.06.2026

मा0 मुख्यमंत्री जी का जनपद गोण्डा आगमन एवं भ्रमण कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न–

गोण्डा। आज दिनांक 06.06.2026 को मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का जनपद गोण्डा के थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चकरौत में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित था। कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का प्रभावी संचालन किया गया। कार्यक्रम स्थल, आगमन एवं प्रस्थान मार्गों सहित आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई तथा सतत निगरानी रखी गई। मा0 मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं सकुशल सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से सामान्य रही तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा कार्यक्रम में ड्यूटीरत समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट समन्वय एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु धन्यवाद दिया गया।

''जनपद गोण्डा पुलिस जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।''

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 06.06.2026</u>

<u>मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जनपद गोण्डा आगमन एवं विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम सकुशल सम्पन्न–</u>

आज दिनांक 06.06.2026 को जनपद गोण्डा के थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चकरौत में मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी का विकास परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास एवं जनसभा कार्यक्रम पूर्णतः सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान जनपद के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। तत्पश्चात मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी, लोकहितकारी एवं विकासोन्मुखी योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान की गई तथा प्रदेश एवं जनपद के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। मा० मुख्यमंत्री जी के आगमन एवं कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्ध किए गए थे। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं पुलिस बल द्वारा कार्यक्रम स्थल, वीवीआईपी मार्गों, पार्किंग स्थलों तथा आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का प्रभावी संचालन किया गया। सम्पूर्ण कार्यक्रम के दौरान सतर्क निगरानी एवं समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कार्यक्रम स्थल एवं जनपद में सुरक्षा, कानून–व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था प्रभावी एवं सुचारु रही। सम्पूर्ण कार्यक्रम के दौरान कानून–व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य एवं नियंत्रण में रही तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हुई। मा० मुख्यमंत्री जी का भ्रमण एवं जनसभा कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने कार्यक्रम में ड्यूटीरत समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए उनके उत्कृष्ट समन्वय, अनुशासन एवं कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की।

<u>''जनपद गोण्डा पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।''</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 06.06.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 20,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 13.06.2020 को थाना छपिया में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 18.08.2020 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट) महोदय श्री फूलचन्द्र कुशवाहा द्वारा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अनीता साहू, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 चन्द्रिका प्रसाद व थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोलानाथ की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 06.06.2026 को दोषी अभियुक्त विकास कुमार प्रजापति को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/– रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा साक्ष्यो के अभाव में अभियुक्त राजकुमार प्रजापति को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–
01. विकास कुमार प्रजापति पुत्र तिलक राम प्रजापति नि0 उकरहा थाना गौर जनपद बस्ती।

अभियोग का विवरण–
01. मु०अ०सं०–912/2020, धारा 306 भादवि व 66 आई0टी0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।